न्यायालय - अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी	**नीलम मीणा, आर.जे.एस**
नम्बरी फौजदारी संख्या	**633/2018**
सीएनआर नंबर	RJCH070012572018
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	**287/2018**
अंतर्गत धारा	**धारा 279, 304ए भा.दं.सं. 1860 व 134/187, 3/181 एमवी एक्ट**
पुलिस थाना	**राजगढ**

राजस्थान राज्य

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह निवासी दहमान थाना भुना तहसील भुना जिला फतेहाबाद

-अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. 1860 व 134/187, 3/181 एमवी एक्ट

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता **श्री चरण सिंह पूनियां**, वास्ते अभियुक्त।

अपराध की तारीख	**20.08.2018**
एफआईआर की तारीख	**20.08.2018**
आरोप पत्र की तारीख	**10.09.2018**
चार्ज निर्धारण की तारीख	**10.09.2018**
प्रारम्भ साक्ष्य की तारीख	**29.05.2019**
बयान 313 सीआरपीसी की तारीख	**11.03.2026**
बहस सुनवाई	**12.03.2026**
निर्णय की तारीख	**12.03.2026**

–: निर्णय :– **दिनांक 12.03.2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 20.08.2018 को परिवादी विजय सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज सुबह 10 बजे के लगभग बहल से राजगढ़ रोड़ पर होटल के आगे खड़े वह, उसकी पत्नी कृष्णा व जयवीर साधन का इंतजार कर रहे थे, तो इतने में बहल की तरफ से एक मोटरसाईकिल को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से

चलाकर लाया व साईड में खड़ी उसकी पत्नी कृष्णा के टक्कर मारी, जिससे उसकी पत्नी के गंभीर चोटे आई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई आदि आदि.....। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा संख्या 287/2018 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में पुलिस थाना राजगढ द्वारा दर्ज किया गया। उक्त मुकदमे पर बाद अनुसंधान अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. व 134/187, 3/181 एमवी एक्ट का न्यायालय में संस्थित किया गया। न्यायालय में संस्थित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं., 1860 व 134/187, 3/181 एमवी एक्ट के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन समझकर अपराध से अस्वीकार करते हुए अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः-

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	दिनेश कुमार	एमटीओ
पी.ड. 2	डॉ. सज्जन कुमार	पोस्टमार्टम बाबत
पी.ड.3	रोहताश	नक्शा मौका बाबत
पी.ड.4	विजय सिंह	एफआईआर कर्ता
पी.ड.5	रिछपाल सिंह	अनुसंधान बाबत
पी.ड.6	सुदर्शन कुमार	चॉक एफआईआर
पी.ड. 7	जयवीर	घटना बाबत

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

क्रम सं.	प्रदर्शनी सं.	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 1ए	तहरीर एमटीओ
3	प्रदर्श पी 2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 3 व	नक्शा मौका व हालात मौका

	3 ए	
5	प्रदर्श पी 4	लिखित रिपोर्ट
6	प्रदर्श पी 5	लाश का पंचायतनामा
7	प्रदर्श पी 6	फर्द सुपुर्दगी लाश
8	प्रदर्श पी 7	चॉक एफआईआर
9	प्रदर्श पी 8	पोस्टमार्टम बाबत तहरीर
10	प्रदर्श पी 9	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल
11	प्रदर्श पी 9 ता 12 **प्रदर्श पी-9 सहबन से**	टैक्स इन्वोईस, बीमा सेल लेटर, फॉर्म नं. 22
12	प्रदर्श पी 13	133 एमवी एक्ट नोटिस
13	प्रदर्श पी 14	मालखाना रजिस्टर प्रमाणित प्रति
14	प्रदर्श पी 15	आरोप पत्र
15	प्रदर्श पी 16	बयान धारा 161 द.प्र.सं. जयवीर

5. अभियुक्त सुरेन्द्र के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 लेखबद्व किये गये तो साक्ष्य अभियोजन को झूठा होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर उचित अवधि के कारावास से दण्डित किया जावे। जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी का भी समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

7. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2018 को सुबह 10 बजे बहल से राजगढ़ रोड़ होटल के पास *अपने कब्जे के वाहन मोटरसाईकिल को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के लोक मार्ग सड़क आम पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाते हुए मानव जीवन या*

वैयक्तिक क्षेम को संकटापित कर मजरूबा कृष्णा टक्कर मारी, जिससे कृष्णा की मृत्यु कारित कर हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया तथा आहत को बिना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये घटनास्थल से फरार हो गया। यदि हां तो अभियुक्त की उपयुक्त सजा क्या होगी?'

8. उभयपक्ष द्वारा अग्रेषित तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादी **गवाह पी.ड.-01 दिनेश कुमार** का सशपथ बयान है कि दिनांक 22.08.2018 को प्रकरण हाजा में जब्त वाहन मोटरसाइकिल लिवा होंडा बिना नम्बरी का आई ओ के निर्देष पर थाना में खडी का मैकेनिकल मुआयना किया तो पाया कि मोटरसाइकिल चालु हालत में थी व सारे सिस्टम सही काम कर रहे थे। मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी रिपोर्ट का अंकन है। **गवाह पी.ड.-02 डॉ. सज्जन कुमार** का सशपथ बयान है कि दिनाक 21.08.2018 को पुलिस प्रतिवेदन पर मृतका कृष्णा की लाश का पोस्टमार्टम किया। जिसकी मृत्यु का कारण उसकी पंसलिया टुटी हुई व अन्दरूनी चोटे थी ओर अत्यधिक रक्तस्राव का कारण होना पाया गया। पीएमआर प्रदर्श पी 2 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

9. **गवाह पी.ड.-05 रिछपाल सिंह** का सशपथ बयान है कि दिनांक 20.08.2018 को प्रार्थी विजय सिंह ने लिखित रिर्पोट प्रदर्शपी 4 व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्शपी 7 पर ए से बी थानाधिकारी सुदर्शन कुमार के हस्ताक्षर हैं। इन्होने प्रकरण जुर्म धारा 279,304ए भा.द.स. में दर्ज कर तफतीश मेरे हवाले की। दौराने तफतीष गवाह ने मृतका कृष्णा देवी की लाष का फर्द निरीक्षण व पंचायत नामा प्रदर्श पी 5 पर ए से बी तथा एक्स स्थान पर विजय सिंह की अगूंष्ठ निशानी है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 6 है। घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, हालात मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3ए, एम.ओ. राजगढ़ को मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करने बाबत तहरीर प्रदर्श पी 8, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 9 पर ए से बी, पोस्टमार्टम रिर्पोट प्रदर्श पी 2 पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर है। मोटर साईकिल के टैक्स इनवोईस ,बीमा सेल लेटर, फार्म 22 जो प्रदर्श पी 9 ता 12 है, धारा 133 एम.वी. एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 13 पर ए से बी, एम.टी.ओ. रिर्पोट प्रदर्श पी 1 पर ई से एफ, तहरीर प्रदर्श पी 1ए, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 14 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तफतीष से मुलजिम सुरेंद्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह मेघवाल निवासी दहमान, थाना भुना, जिला फतेहबाद के विरूध जुर्म धारा 279,304ए भा.द.स. व 3/181, 134/187 एम.वी. एक्ट का प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिन्होने आरोप पत्र प्रदर्श पी 15 न्यायालय में पेष किया जिस पर ए से बी गवाह व सी से डी भगवान सहाय थानाधिकारी के हस्ताक्षर है।

10. **गवाह पी.ड.-06 सुदर्शन कुमार** का सशपथ बयान है कि दिनांक 20.08.2018 को विजय सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 पेश की। जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर विजय सिंह के अंगुठे के निशान है। मजमुन रिपोर्ट से जुर्म धारा 279, 304 ए, भा.द.स का गठित होना पाया जाने पर तफ्तीश रिछपाल सिंह एएसआई को सुपुर्द की। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर विजय सिंह की अंगूठा निशानी है।

11. बहस में उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्क के संदर्भ में पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट है कि परिवादी विजय सिंह ने एक एफआईआर इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.08.2018 को सुबह 10 बजे के लगभग बहल से राजगढ़ रोड़ पर होटल के आगे खड़े वह, उसकी पत्नी कृष्णा व जयवीर साधन का इंतजार कर रहे थे, तो इतने में बहल की तरफ से एक मोटरसाईकिल को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया व साईड में खड़ी उसकी पत्नी कृष्णा के टक्कर मारी, जिससे उसकी पत्नी के गंभीर चोटे आईं और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई।

12. परिवादी विजय का अभियोजन की ओर से पीडब्ल्यू 4 के रूप में परिक्षित करवाया गया है परन्तु मुलजिम की पहचान के लिए गवाह के बयान रिजर्व रखे गये। तत्पश्चात गवाह को बार बार न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु तलब किया गया किन्तु गवाह बार बार तलब किये जाने के बावजूद न्यायालय के समक्ष प्रतिपरिक्षा हेतु उपस्थित नही आया जिस पर न्यायालय द्वारा गवाह की साक्ष्य बंद की गई। चूंकि उक्त गवाह से अभियुक्त को प्रतिपरिक्षा का अवसर प्राप्त नही हुआ अतः उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों को साक्ष्य के रूप में नही पढा गया है। गवाह पी.ड.-03 रोहताश पक्षद्रोही होकर अपनी मुख्य परिक्षा में कथन करता है कि एक्सीडेंट कब हुआ था उसे पता नही, गवाह पी.ड.-07 जयवीर भी पक्षद्रोही होकर उसके सामने कोइ दुर्घटना व कार्यवाही नही होने का कथन करता है। उक्त गवाहान वरवक्त अभियुक्त के वाहन चालक के रूप में ताइद नही करते है ना ही घटना की ताइद करते हैं।

13. इसी प्रकार गवाह पी.ड.-01 मनोज जो कि मैकेनिकल मुआयना का गवाह है, जो प्रकरण में जब्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 स्वंय द्वारा तैयार किए जाने का कथन करता है। गवाह पी.ड.-02 डॉ. सज्जन कुमार जो स्वंय के द्वारा मृतका कृष्णा की लाश का पोस्टमार्टम कर पोटस्मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 तैयार किये जाने का कथन करता है। गवाह पी.ड.-5 रिछपाल जो कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 279, 304 ए एवं धारा

134/187, 3/181 एमवी एक्ट में प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये जाने का कथन करता है। गवाह पीडब्ल्यू 6 सुदर्शन कुमार चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं एक्स स्थान पर मुलजिम के अंगूठा निशानी होने का कथन करता है। इस प्रकार उक्त गवाहों के साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य हैं तथा अभियोजन की ओर से परिक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के पक्षद्रोही होने के कारण अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते हैं। अभियोजन वर वक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन व चालक की पहचान स्थापित नहीं कर पाया है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2018 को सुबह 10 बजे बहल से राजगढ़ रोड़ होटल के पास अपने कब्जे के वाहन मोटरसाईकिल को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के लोक मार्ग सड़क आम पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाते हुए मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम को संकटापित कर मजरूबा कृष्णा टक्कर मारी, जिससे कृष्णा की मृत्यु कारित कर हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया तथा आहत को बिना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये घटनास्थल से फरार हो गया। अतः अभियुक्त सुरेन्द्र को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. व 134/187, 3/181 एमवी एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:आदेशः-

15. अतः अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह निवासी दहमान थाना भुना तहसील भुना जिला फतेहाबाद को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. व 134/187, 3/181 एमवी एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित पेशी पर उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(नीलम मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला - चूरू

16. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलम मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला - चूरू

RAVINDRA KUMAR
stenographer grade III
Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.03.13 12:03:04 +0500